न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 759 / 2025

अनवान : –

1. भोजराज छिम्पा पुत्र बलवीर जाति छिम्पा साकिन बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम्

1. बलराम पुत्र सोहनलाल जाति छिपा साकिन बडबिराना तहसील नोहर
2. कौशल्या पुत्री बलराम जाति छिपा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 01/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 176 / 168 की कुल तादादी 25.1160 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें सयुक्त तौर से बलराम पुत्र सोहनराम जाति छिम्पा साकिन बडबिराना तहसील नोहर 1.5741 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 108 / 105 की कुल तादादी 8.2200 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1अकेला सयुक्त रूप से 827 / 41100 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 169 / 169 की कुल तादादी 8.8520 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से 1475 / 8852 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 2 जो की वादी की बहिन एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है। बाद हक त्याग वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादी स0 1 ने समझौता कर रखा है एवं मुताबिक समझौता रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 176 / 168 की कुल तादादी 25.1160 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1. 5741 हैक्टर भूमि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 108 / 105 की कुल तादादी 8.2200 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 827 / 41100 हिस्सा भूमि में वादी अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा। एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन रहेगा। एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 169 / 169 की कुल तादादी 8.8520 हैक्टर भूमि प्रतिवादी

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सं. 1 के नाम दर्ज 1475/8852 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 2 जो की वादी की बहिन एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है। बाद हक त्याग वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादी स0 1 ने समझौता कर रखा है एवं मुताबिक समझौता रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 176/168 की कुल तादादी 25.1160 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1.5741 हैक्टर भूमि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 108/105 की कुल तादादी 8. 2200 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 827/41100 हिस्सा भूमि में वादी अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा। एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन रहेगा। एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 169/169 की कुल तादादी 8.8520 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1475/8852 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 ता 2 द्वारा वादी

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 176/168 की कुल तादादी 25.1160 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें सयुक्त तौर से बलराम पुत्र सोहनराम जाति छिम्पा साकिन बडबिराना तहसील नोहर 1.5741 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 108/105 की कुल तादादी 8.2200 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1अकेला सयुक्त रूप से 827/41100 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 169/169 की कुल तादादी 8.8520 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से 1475/8852 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 2 जो की वादी की बहिन एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है। बाद हक त्याग वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादी स0 1 ने समझौता कर रखा है एवं मुताबिक समझौता रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 176/168 की कुल तादादी 25.1160 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1.5741 हैक्टर भूमि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 108/105 की कुल तादादी 8.2200 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 827/41100 हिस्सा भूमि में वादी अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा। एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन रहेगा। एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 169/169 की कुल तादादी 8.8520 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1475/8852 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 176/168 की कुल तादादी 25.1160 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1.5741 हैक्टर भूमि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 108/105 की कुल तादादी 8.2200 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 827/41100 हिस्सा भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 169/169 की कुल तादादी 8.8520 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1475/8852 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 759 / 2025

अनवान : –

1. भोजराज छिम्पा पुत्र बलवीर जाति छिम्पा साकिन बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. बलराम पुत्र सोहनलाल जाति छिपा साकिन बडबिराना तहसील नोहर
2. कौशल्या पुत्री बलराम जाति छिपा (छीपी) साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 759 सन 2025 निर्णय दिनांक 01/06/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 176 / 168 की कुल तादादी 25.1160 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1.5741 हैक्टर भूमि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 108 / 105 की कुल तादादी 8.2200 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 827 / 41100 हिस्सा भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता है एवं रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता सं. 169 / 169 की कुल तादादी 8.8520 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1475 / 8852 हिस्सा भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर